भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
10 वीं मंजिल , साकार - I , जांधीग्राम रेल्वे स्टेशन के पास, नेहरू ब्रिज के सामने ,
आश्रम रोड, अहमदाबाद -9.
दूरभाष : 079-2658 8822 , 2657 8128 फैक्स : 079 - 2658 9717
ई - मेल : ahmedabad@cotcorp.com वेब साईट : www.cotcorp.gov.in/www.texmin.nic.in
GST No. AAACT4053B1ZY

क्रमांक : भाकनि/अहद/विपणन/परिवहन/निविदा/2017-18/ **14.06.2018**

परिवहन निविदा सूचना

भारतीय कपास निगम लिमिटेड , शाखा कार्यालय , अहमदाबाद के अधीनस्थ खरीद केन्द्रों / गोदामों से कालम्बोली (नवी मुंबई) , मुन्द्रा पोर्ट , पीपावाव पोर्ट तथा कोलकाता एवं आंतरिक विक्रय हेतु एन.टी.सी. की विभिन्न मिलों तक रूई गांठों के परिवहन हेतु टेन्डर आमंत्रित करता है । टेण्डर फार्म , नियम व शर्तों का प्रोफार्मा निगम के ज्यार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है । इच्छुक ट्रान्सपोर्टर जिनकी **20.00 लाज** रूपये की बैंक गारंटी निगम के किसी भी कार्यालय में जमा है या निविदा जमा करवाने के निर्धारित समय तक जमा करवाना चाहते हैं , वे निर्धारित फार्म में टेण्डर भरकर दिनांक 28.06.2018 ज्यो सुबह 11.30 बजे तक बंद लिफाफे में शाखा कार्यालय , अहमदाबाद के उपरोक्त पते पर प्रस्तुत कर सकते है । इस टेण्डर में तय की गई दरें **दि-ग्रांज 01.07.2018 से दि-ग्रांज 30.09.2018** तक लागू रहेंगी । टेण्डर उसी दिन दिनांक 28.06.2018 ज्यो दोपहर 12.00 बजे उपस्थित ट्रान्सपोर्टरों के समक्ष खोले जाएँगे । निम्न किसी भी टेण्डर का आंशिक / पूर्ण रूप से स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।

निविदा संबंधी टेण्डर फार्म , नियम एवं शर्तों की पूर्ण जानकारी हमारी वेबसाईट www.cotcorp.gov.in एवं गवर्मैन्ट वेबसाईट www.tenders.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

महा प्रबंधज्

भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

10 वीं मंजिल , साकार - I , गांधीग्राम रेल्वे स्टेशन के पास, नेहरू ब्रिज के सामने ,

आश्रम रोड, अहमदाबाद -9.

दूरभाष : 079-2658 8822 , 2657 8128 फैक्स : 079 - 2658 9717

ई - मेल : ahmedabad@cotcorp.com वेब साईट : www.cotcorp.gov.in/www.texmin.nic.in

GST No. AAACT4053B1ZY

रूई गांठों के परिवहन कार्य का निविदा फार्म

टेण्डर फार्म नंबर	
निविदा ज ार्य की अवधि	01.07.2018 से 30.09.2018
निविदा जारी करने की दिनांक	14.06.2018
निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम दिनांक व समय	27.06.2018 शाम 05.00 बजे तक
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	28.06.2018 सुबह 11.30 बजे तक
निविदा जोल-े जी दि-ांज व समय	28.06.2018 सुबह 12.00 बजे

01	ट्रान्सपोर्टर का नाम	
02	ट्रान्सर्पोर का पंजीकृत पता	
03	अहमदाबाद प्रतिनिधि का नाम एवं पता	
04	बैंज का नाम व गैरंटी की संख्या / दि-ांज (फोटो प्रति संलग्न करें)	
05	बैंक गैरंटी की वैद्यता दिनाक	
06	बैंक गैरंटी राशि	
07	**PAN नंबर (फोटो प्रति संलज ज रें)**	
08	**GST नंबर (फोटो प्रति संलग्न करें)**	
09	यदि परिवहनकर्ता के पास 10 से अधिक लॉरि है तो सूचित करें । यदि नही हे तो इस निविदा के साथ संलग्न प्रोफार्मा में अपना डेक्लरेशन दें	
10	फौन/फैक्स/मोबाईल/ई - मेल	

स्टैम्प के साथ हस्ताक्षरमय पदनाम

दि-ांज :

स्था-ा :

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम - वस्त्र मंत्रालय). साजार - 1,, दस वी मंजिल, आश्रम रोड- अहमदाबाद- 360009

(A Govt.of India Undertaking-Ministry of Textiles)

Sakar-I , 10th Floor, Ashram Road, AHMEDABAD-360009

Telephone No .79-26588822/26578128. GRAM: "COTCORPIND". Fax No. 079-26589717

E-mail: ahmedabad@cotcorp.com Web site: http://www.cotcorp.gov.in, www.ministryoftextiles.gov.in

CIU : U51490MH1970GOI014733 GST No. 24AAACT4053B1ZY

दि-ांज : 14.06.2018

रूई की गांठों के परिवहन टेन्डर के लिए शर्ते एवं निबंध-ा

निगम अपने विभिन्न केन्द्रों से कालंबोली, कंडला - मुन्द्रा पोर्ट, पीपावाव पोर्ट , कोलकाता तथा एन.टी.सी. की विभिन्न मिलों तक रूई गांठों के परिवहन के लिए मुहर बन्द टेन्डर आमंत्रित करता है। टेंडर इस कार्यालय में दि-ांज 28.06.2018 ज्ञे 11-30 बजे तक सीलबंध लिफाफे मे जिसके उपर **"रुई की गांठों के परिवहन हेतु "** लिखा हुआ पहुंच जाना चाहिए । निर्धारित समय के बाद प्राप्त टेन्डर पर विचार नहीं किया जायेगा । टेंडर उसी दिन 12-00 बजे उपस्थित ट्रान्सपोटर्स /टेंडर्स दाता यां प्रतिनिधि के समक्ष खोले जायेंगे। टेंडर की शर्तें निम्नलिखित हैं :

1. परिवाहक प्रतिष्ठित होना चाहिए और कपास गांठों का हैंडलींग/कपास गांठों के लिये पैकिंग सामग्री का अनुभव होना चाहिए । परिवाहक का नेटवर्क एक से अधिक राज्यों में होना चाहिए ।

2. परिवाहज्ञ ज्ञे सहकारी बैंक को छोडकर किसी राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक के निर्धारित प्रोफार्मा में आठ लाख रुपये ज्ञी बैंज्ञ ज्ञार-टी प्रस्तुत करनी होगी । परिवाहक अपनी बैंक से अनुरोध करेगा की बेंक गारन्टी को पजींकृत डाक से निगम के किसी भी कार्यालय को सीधे भेजा जाए । बैंक गारन्टी टेन्डर खोलने की तिथि से मान्य तथा लागू समय तक वैद्य होनी अनिवार्य है ।

3. टेंडर के साथ रूपये आठ लाख की बैंक गारन्टी की कॉपी जो सी.सी.आई. के पक्ष में संलग्न की जा सकती है । केवल उन्हीं ट्रान्सपोटर्स को टेंडर में भाग लेने की अनुमति होगी जिनकी बैंक गॉरन्टी निविदा में प्राप्त दर को अंतिम रूप देते समय वैध पाई जाएगी । यदि किसी ट्रान्सपोर्टर की बैंक गारन्टी अवधि बीच में समाप्त होती है तो अवधि समाप्त की तारीख से पहले उसका नवीनीकरण करवाकर निगम के पास पुनः समय रहतें जमा करवानी होगी अन्यथा उन्हें आबंटित किया गया कार्य निरस्त किया जा सकता है ।

4. टेंडर पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिये । परिवाहक को अपने अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम तथा उसके नाम का अधिकार पत्र टेन्डर के साथ जमा करवाना होगा ।

5. दरें प्रत्येक स्थान के लिए अलग अलग "**टु बी बिल्ड** (निर्यात की स्थिति में)**/टु पे**"**(**एन.टी.सी. मिलों में परिवहन की स्थिति में) के आधार पर **प्रति गांठ की दर** से भरी जाएँ । दरें गांठों की लदाई तथा उतराई (लोडिंग तथा अनलोडिंग) शुल्क (चार्ज) के साथ होगी । तथापि जहां कही अपर लोडिंग चार्ज लागू होगा उसका वहन ट्रान्सपोटर्स द्वारा किया जाएगा । लदाई तथा उतराई खर्च का भुगतान परिवहक द्वारा केंद्र पर लागू दरों ज्ञे अनुसार करना होगा ।

6. यह दरें **<u>दि-गांज 01-07-2018 से 30-09-2018 तक मान्य</u>** रहेंगी । इस दौरान किसी भी ट्रक यूनियन द्वारा दर बढाये जाने पर,भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजल,पेट्रोल,टायर व अन्य कल पुर्जो जे दर बढाने पर या कोई टैक्स/अतिरिक्त टैक्स लागू करने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा तथा टेन्डर में भरी गई दरों में कोई तबदीली नहीं होगी। अत: टेन्डर में एक बार भरी गई दर समस्त अवधि के दौरा-न लाजू रहेजी और परिवाहक उन्ही दरों पर काम करने के लिये बाध्य होगा । सभी गांठें ट्रान्सपोर्टर को सडक परिवाह-न द्वारा भेजनी पडेगी और किसी भी कारणवश यह सडक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नही भेजी जा सकती ।

7. गांठें द्वार प्राप्ति (डोर डिलीवरी) के आधार पर बुक की जायेगी व शाखा कार्यालय , अहमदाबाद के अन्तर्गत आनेवाले किसी भी केन्द्र से गांठें उठाकर गन्तव्य स्थान का पता जो भी हो पहुँचानी होगी । यदि गन्तव्य स्थान पर पहुँच कर गांठों की डिलीवरी देने का स्थान बदल दिया जाता है तो ऐसी हालत में 50 किलो मीटर तक की डाईवर्शन के लिए ट्रान्सपोर्टर को कोई डाईवर्शन चार्ज नही दिया जायेगा ।

8. डीओ जारी होने के पश्चात ट्रान्सपोर्टर को तुरन्त गांठें भिजवाने की व्यवस्था करनी होगी तथा गांठों के डिस्पैच के तुरन्त पश्चात ट्रान्सपोर्टर को जी.आर. नंबर व गांठों का विवरण तुरन्त अगले दिन शाखा कार्यालय अहमदाबाद को सूचित करना होगा ।

9. प्रत्येक ट्रान्सपोर्टर को प्रति सप्ताह एक स्टैटमेंट (तालिका) भेजनी अनिवार्य होगी जिसमें लॉट नंबर, गांठों की संज्या, लॉरी नंबर, लॉरी रसीद नंबर और डिस्पेच की तिथि, स्टेशन जिसको भेजी गई उसका नाम अंकित होना चाहिये ।

10. ट्रान्सपोर्टर अपना कार्यालय अहमदाबाद में रखने की व्यवस्था करेगा, जहाँ उसे डी.ओ. सौपने की सूचना दी जा सके । परिवाहक के प्रतिनिधि गांठों के डिलीवरी आर्डर यदि कोई हो, तो शाखा कार्यालय (अहमदाबाद) से कार्य दिवस पर कार्यालय के समय दौरान प्राप्त कर सकते हैं ।

11. ट्रान्सपोर्टर को शाखा कार्यालय से डी.ओ. जारी होने के पश्चात 48 घंटों में ट्रक की व्यवस्था कर गांठों जो उठाना होगा ।

12. एन.टी.सी. मिलों के संदर्भ में गांठें डी.ओ. की तारीख से 10 दिनों के अंतर गंतव्य स्थान पर पहुच जानी चाहिए अन्यथा विलंब अवधि के लिए प्रति गांठ / प्रति दिन रू. 5/- की दर से सामान्य परिस्थितियों में जुर्माना (अर्थ दंड) वसूल किया जायेगा ।

13. गोदाम में गांठों के लॉट की प्राप्ति की तारीख वही मानी जाएगी जिस तारीख को उस खास लॉट की अंतिम गांठ गोदाम में पहुंचती है तथा इस प्रकार गांठों के पहुंचने में देरी होने पर पूरे लॉट पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा ।

उदाहरण के लिए अगर एक लॉट की 70 गांठें महीने की 20 तारीख को और शेष 30 गांठें महीने की 25 तारीख को पहुंचती है तो लॉट के पहुंचने की तारीख 25 तारीख मानी जाएगी जिस दिन लॉट की अंतिम कनसाइनमेंट गोदाम में पहुंचती है तथा इसी तारीख के आधार पर ट्रान्सपोटर्स के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार परिवहक के बिल से आवश्यक कटौती निम्नानुसार की जाएगी ।

14. ट्रान्सपोर्टर द्वारा गांठे शाखा से डी.ओ. प्राप्त करने के अगले दिन से निम्न प्रकार दिनों के अंदर-अंदर गन्तव्य स्थान पर पहुंच जानी चाहिये अन्यथा 10/- रू. प्रति गांठ प्रति दिन की पैनाल्टी ट्रांसपोर्टर के बिल से काटी जायेगी ।

डी.ओ.जारी करने की तारीख से	1000 गांठों तक	1000 गांठों से अधिक गांठो तक
महाराष्ट्र के लिए	3 दिन अधिकतम	5 दिन अधिकतम
अन्य जगहाँ के लिए	10 दिन अधिकतम	12 दिन अधिकतम
गुजरात के लिए	3 दिन अधिकतम	5 दिन अधिकतम

(छुट्टी तथा रविवार को छोडकर)

15. परिवहन कर्ता यदि गांठों के निकासी आदेश प्राप्त करने एवं समय से गांठों की निकासी लेने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में निगम स्वीकृत दर का टेन्डर निरस्त करके अन्य परिवहन कर्ता को कार्य देने का विकल्प अपने पास सुरक्षित रखता है । इस कारण निगम को होने वाली हानि की वसूली मूल परिवाहक कर्ता से की जायेगी ।

16. गांठों को दूसरी गाडी पर लादने (ट्रान्सशिपमेंट) की अनुमति नहीं होगी । गांठों ट्रक में लॉट-वाइज / कान्ट्रेक्ट-वाइज (अनुबंध के अनुसार) लादी जायेगी तथा गांठों को एक दूसरे में मिलाने (इँटर मिकसिंग) की छूट -नहीं दी जाएगी तथा किसी भी हालत में दो लॉट से अधिक गांठों का डिस्पैच एक ट्रक में नहीं किया जाएगा ।

17. गांठें गन्तव्य स्थान पर ट्रकों के पहुचने की प्राथमिकता के आधार पर उतरवाई जायेंगी । जो ट्रक पहले पहुँचेगा उसको पहले अनलोड किया जायेगा । गन्तव्य स्थल पर रुकने के लिये परिवहक को कोई रिटेन्शन चार्ज नहीं दिया जायेगा । रूकावट तथा वापसी (डिटेन्शन एण्ड रिटर्न) के लिए किसी प्रकार के भाडे का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

18. चुंगी (ऑक्ट्रोय) कर का भुगतान, जहां आवश्यक होगा, परिवाहक द्वारा किया जाएगा जिसकी प्रतिपूर्ति उन्हें ट्रान्सपोर्टेशन बिल के साथ रसीद की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर शाखा कार्यालय द्वारा की जाएगी ।

19. परिवाहज्ञ द्वारा राज्य में ट्रक के साथ लागू आवश्यक कागजात (फार्म्स) की व्यवस्था की जाएगी ताकि मार्ग में ट्रकों के किसी प्रकार की रूकावट से बचा जा सके ।

20. अगर आवश्यक हो, तो गांठों के डिस्पैच के तुरंत बाद परिवाहक द्वारा संबंधित पार्टी को मार्गस्थ बीमा (ट्रांजिट इन्श्योरेन्स) कवर करने के लिए तार भेजा जायेगा ।

21. परिवाहक द्वारा गांठों की डिलीवरी पानेवाले (कनसाइनी) के निर्देश के अनुसार देनी होगी ।

22. परिवहक द्वारा रास्ते में परिवहन के दौरान गांठों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी तथा गांठें पूरी तरह तिरपाल से ढंकनी होगी । गलत संचालन (मिस हैंडलिंग) के कारण अगर किसी प्रकार की हानि होती हैं तो उसके लिए परिवहक को उत्तरदायी माना जाएगा तथा उसके बिल से आवश्यक कटौती की जाएगी ।

23. परिवहक द्वारा गन्तव्य स्थान (डेस्टीनेशन) पर वेट नोट तथा प्रोफार्मा इनवॉइज की दो प्रति (कोपी) के साथ साथ जी.आर. की कोपी भी प्रस्तुत करनी होगी जिससे गांठों की किस्म तथा संख्या आदि की जांच करने में सुविधा हो ।

24. रास्ते में किसी प्रकार की दुर्धटना / अग्नि दुर्धटना होने पर इसकी सूचना तुरंत शाखा कार्यालय को दी जाएगी तथा परिवहक द्वारा अवशेष (सॉल्वेज) को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि सर्वेयर द्वारा सर्वे का ज्ार्य पूरा नहीं कर लिया जाता है । ट्रान्सपोटर्स का यह भी दायित्व होगा कि आवश्यकता पडने पर वह प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) / फायर ब्रिग्रेड रिपोर्ट आदि की कॉपी प्रस्तुत करें । ट्रान्सपोटर्स द्वारा एफ.आइ.आर. में अग्नि / दुर्धटना में शामिल गांठों की विवरणी तथा संख्या की रिपोर्ट निश्चित रूप से दर्ज करानी होगी ।

25. परिवहक द्वारा जी.आर. में पूरा ब्यौरा, जैसे कनसाइनी (पाने वाले) का नाम, लॉट संख्या, किस्म, पी.आर. नंबर, गांठों की संख्या, ट्रक नंबर, डी.ओ. नंबर, तारीख, अनुबंध संख्या आदि अनिवार्य रूप से देनी होगी । ट्रान्सपोर्टर द्वारा पूरे लॉट की मूल बिलटी/जी.आर. जिस पर प्राप्तकर्ता के मोहर सहित हस्ताक्षर हो प्रस्तुत करने परही भुगतान किया जायेगा (जी.आर. की फोटो कापी मान्य नहीं होगी)

26. परिवहक द्वारा भाडे का बिल प्रत्येक डी.ओ. के अनुसार दो कोपी में शाखा कार्यालय को भेजना होगा । बिल ज्े साथ प्रमाज के रूप में कनसाइनर द्वारा विधिवत स्वीकृत गांठों की प्राप्ति संख्या दर्शाते हुये, (गांठे सहीं स्थिति में ली गई) के रिमार्क के साथ जी.आर. की प्रति लगाया जायेगा ।

27. परिवहक द्वारा संतोषप्रद रूप से कार्य पूरा नहीं करने की स्थिति में निगम को यह पूरा अधिकार होगा कि वह ट्रान्सपोटर्स के टेन्डर को रद करके तथा दोषी ट्रान्सपोटर्स के दायित्व एवं खर्चें पर किसी दूसरे ट्रान्सपोटर्स से ज्ार्य पूरा ज्रा लें ।

28. टेन्डर केवल निगम की शर्तो पर ही मान्य होगें । इसके लिए ट्रान्सपोर्टर की कोई शर्त मान्य नहीं होगी ।

29. निगम के पास यह अधिकार भी सुरक्षित होगा कि वह किसी भी टेन्डर को बिना कोई कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता हैं ।

30. ट्रक की हालत ऐसी न हों कि वह गांठों को क्षतिग्रस्त करें । केमीकल्स तथा कोयला आदि ढोने वाले ट्रज्ों ज्ी पूरी सफाई करने के पश्चात ही गांठों की लदाई की जायें । अगर जरुरी हुआ तो ट्रान्सपोर्टर को ट्रक पर तारपोलिन आदि बिछा कर गांठों की लदाई करनी होगी । गांठों मे किसी भी प्रकार के डेमेज के लिये परिवाहक भरपाई के लिये जिम्मेदार होगा ।

31. गांठें कॉन्ट्रेक्ट-वाइज तथा लॉट-वाइज उठाई जायें तथा एक लॉट की गांठों को दो से अधिक भागो में विभाजित नहीं किया जायें तथा परिवहक इस प्रकार से गांठें भेजें जिससे दोनों भाग अनिवार्य रूप से गंतव्य स्थान पर साथ साथ पहुंचे ।

स्थिति के अनुसार दो लॉट (200 गांठ) के लिए प्रत्येक ट्रक में 50 या 100 अथवा 67 गांठों की लदाई की जा सकती है तथा दो अनुबंध की गांठों को किसी भी समय मिश्रित (मिक्स) नहीं किया जायेगा । यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि एक लॉट की गांठों को दो से अधिक भाग में विभाजित नहीं किया जाएगा तथा पहले भाग के डिस्पैच के तुरंत बाद दूसरे भाग की गांठों की लिफिंटग कर ली जाएगी ताकि लॉट की सभी गांठें गोदाम/गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाए ।

32. जहां कहीं एक ट्रक में दो लॉट से अधिक गांठें मिक्स रूप में प्राप्त होती हैं, वहां गांठों की मिक्सिंग के लिए प्रति गांठ रू.10/- की कटौती ट्रान्सपोटर्स के बिल से की जाएगी ।

33. एन.टी.सी. के लिए परिवाहन भाडे का भुगतान एन.टी.सी. मिल के कार्यालय में पूरे ब्यौरे के साथ बिल ज्ी प्राप्ति पर मिल द्वारा किया जाएगा ।

<u>निर्यात की गई गांठों के संदर्भ मे :</u>
प्रत्येक बिल से 5% कटौती की जायेगी जिसका भुगतान निर्यात हेतु भेजी गई सभी गांठों की प्राप्ति की सूचना उपरान्त किया जायेगा । परिवहन भाडे का भुगतान कार्यालय में पूरे ब्यौरे के साथ बिल की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के अन्दर या बिल की किसी विसंगति की स्थिति में बिल के परिशोधक की तारिख से 15 दिन के अन्दर किया जाएगा ।

स्त्रोत पर आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती नियमानुसार की जाएगी ।

34. यदि दो या दो से अधिक ट्रान्सपोर्टर एक ही प्रकार की न्यूनतम दरें भरते हैं तो निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किस ट्रान्सपोर्टर को/या आनुपातिक आधार पर कार्य दें अथवा उसी समय दोबारा दोनो से दरें लेकर, न्युनत्तम दर वाले को कार्य दिया जा सकता है ।

35. टेन्डर फार्म में दशाई गयी सभी शर्तो के फलस्वरुप यदि कोई विवाद, शक या शंका उत्पन्न होती है तो अन्तिम निर्णय निगम के सक्षम अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होगा। ऐसी हालत में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा । किसी प्रकार के कानूनी विवाद के निपटारे के लिए अधिकार क्षेत्र न्यायालय अहमदाबाद होगा ।

36. गांठों के परिवहन संबंधित कार्य मे दोषी होने पर यदि निगम को कोई आर्थिक नुकसान होता है तो ट्रान्सपोर्टर द्वारा दी गई बैंक गारंटी कैश करवा ली जायेगी, नुकशान राशि बैंक गारन्टी से अधिक होने पर बकाया राशि की वसूली निगम परिवाहक से करने का हकदार होगा तथा ट्रान्सपोर्टर को ब्लेक लिस्ट करते हुए का-नु-ी कार्रवाई की जा सकती है ।

37. किन्ही विशेष परिस्थितियों मे परिवहन कार्य अधिक होने की दशा मे एक से अधिक ट्रान्सपोर्टर को अनुपातिक कार्य भी दिया जा सकता है । जिस परिवाहक की सम्बन्धित गन्तव्य स्थान हेतु न्युनत्तम दर प्राप्त होती है उनको L1 माना जायेगा तथा उसे परिवहन कार्य का 60% कार्य आबंटित किया जायेगा तथा शेष 40% कार्य L2 को दिया जायेगा बशर्ते वह L1 द्वारा दी गयी दरों पर कार्य करने हेतु तैयार हो । यदि L2 परिवाहज् L1 द्वारा दी गयी दरों पर कार्य करने को इच्छुक नही है तो समस्त कार्य L1 को ही आबंटित किया जायेगा । डी.ओ. केवल 100 गांठों के लॉट में ही जारी किया जायेगा । उदाहरण के लिए यदि 600 गांठ का डी.ओ. निर्यात हेतु भेजा जाना है तो इन गांठों के लिये 60:40 के हिसाब से L1 को 360 गांठों का एवं L2 को 240 गांठों का डी.ओ. दिया जायेगा ।

38. इस अनुबंध के आधीन जारी किए गए सभी डी.ओ. को एक ही अनुबंध का ही भाग समझा जाएगा । किसी डी.ओ. का काम करने में असफल होने पर, परिणामस्वरूप निगम को कोई हानि होती है या किसी डी.ओ. के विरुध्ध किसी प्रभार से वसूली का कारण बनता है, तब इस प्रकार की हानियों या वसूलियों को 18% ब्याज के साथ इस अनुबंध के अधिन जारी किसी अन्य डीओ से अथवा निगम की किसी अन्य शाखा द्वारा ट्रान्सपोर्टर के देय राशि मं`से / साथ समायोजन किया जायेगा ।

39. किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने पर निगम द्वारा नियुक्त आरबिट्रेटर (जो कि निगम का कर्मचारी -हीं होगा) को विवाद के निर्णय हेतु मामला सुपुर्द किया जायेगा और उसका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा एवं आरबिट्रेटर, आरबिट्रेशन व रीकन्सीलेसन एक्ट 1996 के प्रोविजन के अर्न्तगत शासित होगा ।

40. टेन्डर मे भरी इुई दरें स्पष्ट होनी चाहिए,जो दरें स्पष्ट नहीं होंगी वह दरें रद् समझी जाएगी । फैक्स या ई-मेईल की कोपी मान्य नहीं होगी ।

41. ट्रान्सपोर्टर दरें भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनके द्वारा दी गई दरों में **"GST "** शामिल -ा हो तथा उन्हें GST रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रमाणपत्र की फोटो कापी भी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होजा ।

42. ट्रान्सपोर्टर को निर्यात हेतु जारी डी.ओ. के सामने प्रति दिन केन्द्र / गोदाम से उठाये जाने वाली गांठों का विवसज शाजा ज ार्यालय , अहमदाबाद को प्रस्तुत करना होगा ।

43. गांठें लोडिंग करने से पहले सुनिश्चित किया जाये कि सभी गांठेा की पैकिंग योग्य है । सभी गांठों ज ी पत्ती ठीक ढंग से लगी है और कोई भी गांठ खुली/खुलने की हालत में नहीं है । हैसियन/क्लोथ की सिलाई ढंग से की गई है । गांठें उठाने के समय परिवहक को अपनी कंपनी के लेटरपेड पर ***गांठें सही स्थिति में ली गई है*** ऐसा प्रमाणपत्र लिखकर देना होगा ।

44. टेन्डर भरनेवालें परिवाहकों द्वारा उपरोक्त नियमों एवं शर्तो को ध्यान में रख लेना चाहिये । एक बार टेन्डर फार्म भरनें के बाद यह माना जायेगा कि परिवाहक ने इस फार्म में दी गई सभी नियम एवं शर्ते घ्यान से पढ ली हैं तथा वे इन नियमों एवं शर्तो के अंर्तगत कार्य करने के लिये तैयार एवं बाध्य है ।

45. जिन परिवाहकों की न्युनतम दरें निगम द्वारा स्वीकृत की जाएगी, उन्हे 100 रु. के स्टैम्प पेपर पर निज्म द्वारा दिये गये प्रोर्फामा में टेन्डर फाईनल होनें की दिनांक से 15 दिनों में परिवहन अनुबंध करना होजा जिसका खर्च परिवाहक को वहन करना होगा । परिवहक को कार्य आबंटन उनके द्वारा परिवहन अनुबंध होने के बाद ही किया जाएगा ।

46. यदि निविदाकर्ता को निविदा की शर्तों एवं / अथवा निविदा प्रणाली के संबंघ में कोई प्रष्न हो तो वह शाजा कार्यालय से पूछताछ कर सकता है । इसके अलावा यदि किसी निविदा को अस्वीकृत किया जाता है अथवा संभावित निविदाकर्ता को निविदा संबंघित कागजात जारी नही किये जाते है तो वह शाखा कार्यालय से अस्वीकृति का कारण पूछ सकता है ।

47. 1 जून , 2015 के बाद किसी भी परिवहनकर्ता के पास 10 तक गुडस कैरिअर है तो उससे TDS की कटौति नहीं की जाएगी जिसके लिए परिवहनकर्ता को इस निविदा के साथ संलग्न किए गए प्रारूप को स्वयं के लेटर हैड पर लिखकर देना अनिवार्य है । अगर 10 से उपर गुडस कैरिअर है तो उससे TDS की कटौति की जाएगी । यदि संलग्न प्रारूप में नहीं देते है तो भी TDS की कटौति की जाएगी । यदि आपके द्वारा डिक्लेरेशन प्रारूप में देने पर भी किसी भी प्रकार की आयकर विभाग से वसूली आती है तो परिवहनकर्ता की बिल की राशि से कटौति की जाएगी ।

महा प्रबंधज

भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

10 वीं मंजिल , साकार - I , गांधीग्राम रेल्वे स्टेशन के पास, नेहरू ब्रिज के सामने ,

आश्रम रोड, अहमदाबाद -9.

दूरभाष : 079-2658 8822 , 2657 8128 फैक्स : 079 - 2658 9717

ई - मेल : ahmedabad@cotcorp.com वेब साईट : www.cotcorp.gov.in/www.texmin.nic.in

GST No. AAACT4053B1ZY

जिलावार केन्द्रों के नाम निम्नानुसार है :

Districtwise Names of Centres are as under :

क्र म सं.	जिला का नाम / Names of District	केन्द्र एवं गोदाम का नाम / Name of Centre & Godown
1	अहमदाबाद	धंधूज ा,बावला,इसनपुर,
2	बडौदा	मियागाम,डभोइ,समलाया, कलेडिया,साधली,शि-गोर ,ज ारवाज, दशरथ,कराछिया
3	छोटाउदेपुर	नसवाडी , बोडेली , पावीजेतपुर , कोशिन्द्रा , हांदोद बहादरपुर , गोलागामडी
4	आणंद	वडोद,खंभात
5	भरूच	भरूच,पालेज,जगडिया,वालिया
6	खेडा	कपडवंज,उमरेठ,ठासरा
7	मेहसाजा	वीसनगर,विजापुर,मेहसाजा
8	-र्मदा	राजपिपला, आमलेथा
9	साबरकांठा/अरवल्ली	डेमाई,धनसुरा,साठंबा,खेडब्रहमा,वडाली,तलोद,सलाल,ईडर जादर,इलोल, हिम्मतनगर, सलाल,ईडर, लालपुर
10	जांधी-ाजर	अडालज , रजियाल,माजसा,देहजाम
11	तापी	ि-झर
12	सुरे-द्र-ाजर	वढवाण

(To be given on the printed leter head of the transporter)

To,
The General Manager,
The Cotton Corporation of India Limited,
Ahmedabad

Sub : Authority letter for negotiation / finalization of transportation rates and capacity for Cotton season 2017-2018.

Sir,

We hereby authorised Shri_____(Name) _____(Designation) on behalf of M/S. _____ negotiation and finalization of Transportation rates for the season 2017-2018.

Further , we submit that we are sole proprietor / partnership / limited company and we have full authority to authorized Shri_____ our representative whose specimen signature as given given below.

(_____)
Specimen Signature

We agree to all terms and conditions of the tender.

Thanking you,

yours faithfully,

(Signature of the authorised Signatory)

Name & Designation :_____

Name of the Transporter :_____

Seal of the Transporter :_____

पार्टी के लेटर हैड पर होना आवश्यक है ।

Declaration under Section 194 C (6) for Non-deduction of Tax at Source

To,
M/S. The Cotton Corporation of India Ltd.
Ahmedabad

Declaration

I ,Mr._____(Proprietor / Partner/ Director of) M/S._____(Address) (hereinafter the contractor) do hereby make the following declaration as required by sub section (6) of Section 194C of the income Tax Act, 1961 for receiving payment from the payer without deduction of tax at source.

1. That I/WE am/are authorized to make this declaration in the capacity as proprietor/partner/Director.
2. That the contractor is engaged by the payer for playing, hiring or leasing of goods carriage for its business.
3. That the contractor does not own more than goods carriage as on date.
4. That if the number of goods carriages owned by the contractor exceeds ten at any time during the period 2017-18(01.11.2017 to 31.10.2018), the contractor shall forthwith, in writing intimate the payer of this fact.
5. That the Income Tax Permanent Account Number (PAN) of the contractor is _____, A photocopy of the same is furnished to the payer along with this declaration.
6. The contractor hereby gives an undertaking to submit duly prescribed from of declaration as notified by the Income tax department.

Place :_____
Dated : _____ **Declarant**

VERIFICATION

I the above named declarant do hereby verify that the contents of paragraphs one to six above are true to my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed in it.

Place :_____
Dated :_____

Name of the Declarant and Signature

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
शाखा कार्यालय , अहमदाबाद

क्र म सं.	जिला / भंडारण स्थल	Destination for Export (To be Billed)				
		ज ालंबोली	कंडला पोर्ट	मुंद्रा पोर्ट	पीपावाव पोर्ट	कोलकाता
1	अहमदाबाद					
2	बडौदा					
3	आणंद					
4	छोटा उदेपुर					
5	भरूच					
6	खेडा					
7	मेहसाजा					
8	-र्मदा					
9	साबरकांठा					
10	जांधी-नगर					
11	तापी					
12	सुरे-द्र-नगर					

मै-ने निम्न ज्ी संलग्न नियम एवं शर्तें पढ ली है और वो मुझे मंजुर है ।

दि-नांज : .....
स्था-न : .....

ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं हस्ताक्षर

Destination of NTC Limited (Gujarat) Mills

क्र म सं.	(TO PAY)	
	जिला / भंडारण स्थल	**Destination** **Ahmedabad**
1	अहमदाबाद	
2	बडौदा	
3	आणंद	
4	छोटा उदेपुर	
5	भरूच	
6	खेडा	
7	मेहसाजा	
8	-र्मदा	
9	साबरकांठा	
10	जांधी-नगर	
11	तापी	
12	सुरे-द्र-नगर	

मै-ने निम्न ज्ी संलग्न नियम एवं शर्तें पढ ली है और वो मुझे मंजुर है ।

दि-नांज : .....
स्था-न : .....

ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं हस्ताक्षर

The Cotton Corporation of India Limited
Branch Office , Ahmedabad

DESTINATION OF NTC WESTERN REGION (MN,SM) MILLS & WEST BENGAL REGION

क्र म सं.	जिला / भंडारण स्थल	(TO PAY) Destination								
		मुबई	हिंगनघाट	अकोला	औरंगाबाद	चालिसगाँव	-ांदेद	बारशी	घुले	कोलकाता
1	अहमदाबाद									
2	बडौदा									
3	आणंद									
4	छोटा उदेपुर									
5	भरूच									
6	खेडा									
7	मेहसाजा									
8	-ार्मदा									
9	साबरकांठा									
10	जांधी-ाजर									
11	तापी									
12	सुरे-द्र-ाजर									

मै-ने निज्म जी संलज्ा नियम एवं शर्तें पढ ली है और वो मुझे मंजुर है ।

दि-ांज : .....
स्था-न : .....

ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं हस्ताक्षर

Destination of NTC Limited (MP) Mills

क्र म सं.	जिला / भंडारण स्थल	(TO PAY) Destination	
		बुरहा-ापुर	भोपाल
1	अहमदाबाद		
2	बडौदा		
3	आणंद		
4	छोटा उदेपुर		
5	भरूच		
6	खेडा		
7	मेहसाजा		
8	-ार्मदा		
9	साबरकांठा		
10	जांधी-ाजर		
11	तापी		
12	सुरे-द्र-ाजर		

मै-ने निज्म जी संलज्ा नियम एवं शर्तें पढ ली है और वो मुझे मंजुर है ।

दि-ांज : .....
स्था-न : .....

ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं हस्ताक्षर

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
शाखा कार्यालय , अहमदाबाद

DESTINATION OF WEST BENGAL REGION

क्र म सं.	जिला / भंडारण स्थल	Destination for Export/ निर्यात क लिए गंतव्य स्थान (To be Billed) दर प्रति गांठ रू.	
		पेट्रोपोल , वेस्ट बंगाल	हलदिया , वेस्ट बंगाल
1	अहमदाबाद		
2	बडौदा		
3	आणंद		
4	छोटा उदेपुर		
5	भरूच		
6	खेडा		
7	मेहसाजा		
8	-र्मदा		
9	साबरकांठा		
10	जांधी-नगर		
11	तापी		
12	सुरे-द्र-नगर		

मै-ने नि-म्न जी संलग्न नियम एवं शर्तें पढ ली है और वो मुझे मंजुर है ।

दि-नांज : .....
स्था-न : .....

ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं हस्ताक्षर